फर्द अहकाम

सोहनी बनाम पप्पू

58/2014

आज्ञा या [illegible]	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
[illegible]/5/14	पत्रावली पेश हुई। क्योंकि उभयपक्ष अब0 चाहते अन्तिम हलफनामा [illegible] है। पक्षों का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है निर्णय प्रकरण से लिखवाया जाकर [illegible] शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल [illegible] बाद [illegible] [illegible] [illegible] हो [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested

S[illegible] Makkar [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 58/2014
निर्णय दिनांक :16.05.2024

श्रीमति सोहनी देवी धर्मपत्नी श्री मोहनलाल कुमावत जाति कुमावत उम्र 38 वर्ष निवासी प्लाट नं० 6 हरिनगर कॉलोनी 5, रामनगर, सोडाला, जयपुर।
श्रीमति मन्जू अग्रवाल पत्नी श्री संजय अग्रवाल जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी एस-3, नैमी सागर एनक्लैव, वैशाली नगर, जयपुर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

पप्पू पुत्र सीताराम
श्रीमति धन्नी देवी पत्नी सीताराम
बाबूलाल | पुत्रान गोपल
हरिनारायण
बृजमोन

जातियान ब्राहमण निवासीयान ग्राम श्रीरामपुरा, पो० लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर पता- तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर

7. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता- इन्दिरा सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

वाद बाबत् घोषणा, आज्ञापक निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से वाद-पत्र का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का, लाखना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खातेदारी कृषि भूमि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.03 हैक्टयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.11 हैक्टयर मे हिस्सा 1/4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13-3-2005 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच से कय किया था जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर के यहां दिनांक 16-3-2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 477, पृष्ठ संख्या 27 कम संख्या 2005002722 पर किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1512 के पृष्ठ संख्या 255 से 262 पर चस्पा किया गया। उक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त हैं जिसे वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया हैं। वादीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया था और तत्समय ही वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा सम्भाल लिया था। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या सात ने रिंग रोड हेतु अवाप्त कर लिया तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड मे जरिये नामान्तकरण संख्या 158 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम खुल गया, वादग्रस्त भूमि की अवाप्ति के कारण वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं खुला। वादीगण ने वादग्रस्त अवाप्तशुदा भूमि के बदले विकसित भूखण्डो के आवंटन हेतु प्रतिवादी संख्या सात को दिनांक 14-12-11 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया किन्तु जमाबन्दी में वादीगण का नाम न होने से प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested

ने वादीगण के हक मे विकसित भूखण्ड का आरक्षण पत्र व आवंटन पत्र जारी नही
ा। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या सात को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि का
क्षण पत्र देने हेतु दिनांक 14–12–11 व समय समय पर प्रार्थना पत्र पेश किये किन्तु
तिवादी संख्या सात ने जमाबन्दी मे वादीगण का नाम दर्ज न होने से वादीगण को मुआवजे
विकसित भूखण्ड का आरक्षण पत्र नही दिया, वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या छः को
ांक 6–1–2011 व समय समय पर प्रार्थना पत्र पेश करके रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार
वादीगण के नाम नामान्तकरण खोलने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या छः ने
या कि नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या सात के नाम खुल चुका हैं इसलिए वादीगण के
नामान्तकरण नही हो सकता है। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या एक व दो ने दिनांक
6–12 को वादीगण के हक में एक इकरारनामा सहमती पत्र सम्पादित किया जिसमे यह
केत था कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
दिया गया इसलिए वादीगण के नाम आरक्षण पत्र जारी करने में उनको कोई एतराज
ी हैं इस इकरारनामा सहमती पत्र को मानते हुए प्रतिवादी संख्या सात ने प्रतिवादी संख्या
व दो के हिस्से का आरक्षण पत्र दिनांक 28–6–2012 को वादीगण के नाम से जारी कर
या गया। प्रतिवादी संख्या तीन लगायत पांच द्वारा वादीगण के नाम प्रतिवादी संख्या एक
दो की भांति अनापत्ति / सहमती पत्र नही लिखा जिसके कारण प्रतिवादी संख्या सात ने
ाप्त भूमि के बदले विकसित भूखण्डो के आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र वादीगण के नाम से
ारी नही किये। वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय करने के पश्चात
दग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच का कोई विधिक अधिकार शेष नही
ता हैं, वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हक वादीगण में निहित हो गये हैं। वादग्रस्त भूमि के
वाप्त होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि की अवाप्ति के मुआवजे के बदले विकसित भूखण्ड के
प में मिलने वाले मुआवजे पर एकमात्र अधिकार वादीगण का ही हैं। वादीगण प्रतिवादीगण
विरूद्ध इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं कि अवाप्तशुदा वादग्रस्त भूमि के
आवजे के बतौर मिलने वाले विकसित भूखण्ड का आरक्षण पत्र / आवंटन पत्र वादीगण के
म जारी किया जावे, इस बाबत प्रतिवादी संख्या सात को आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी की
वे। वाद कारण दिनांक 6–1–2011 को प्रतिवादी संख्या छः को राजस्व रिकार्ड मे वादीगण
ा नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र देने, प्रतिवादी संख्या सात को वादग्रस्त भूमि के मुआवजे
तु प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त वादीगण के हक मे कोई कार्यवाही नही करने तथा प्रतिवादी
ख्या तीन लगायत पांच द्वारा दिनांक 30–11–2013 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो
ी भांति सहमती पत्र/अनापत्ति पत्र लिखने से इन्कार करने के कारण वाद कारण उत्पन्न
ोकर निरन्तर जारी हैं।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न
प्रकार डिकी फरमाया जावे :–

क. वाद पत्र की मद संख्या एक में वर्णित अवाप्तशुदा वादग्रस्त भूमि के मुआवजे के
बतौर मिलने वाले विकसित भूखण्ड का आरक्षण पत्र / आवंटन पत्र वादीगण के नाम जारी
किया जावे, इस बाबत प्रतिवादी संख्या सात को आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किये गये।
दिनांक 12.04.2027 को पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से कोई
उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 28.04.
2017 पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने आज दिनांक तक जवाब पेश नही करने
पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 07.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 7 की ओर
से रामेश्वर प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस उपस्थित अधिवक्ता सुनी गई। बहस उपस्थित अधिवक्ता, पत्रावली व संलग्न
वेजात का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर
श्रीरामपुरा, पटवार हल्का, लाखना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर
ा जयपुर स्थित खातेदारी कृषि भूमि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा
हैक्टयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.05 हैक्टयर,
रा नम्बर 211 रकबा 0.03 हैक्टयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.11 हैक्टयर मे हिस्सा
4 जो अवाप्तशुदा है उक्त अवाप्तशुदा वादग्रस्त भूमि के मुआवजे के बतौर मिलने वाले
कसित भूखण्ड का आरक्षण पत्र / आवंटन पत्र वादीगण के नाम जारी किया जावे जाने
आदेश दिये जाते है।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested